न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

अर्जुनलाल बनाम विद्या देवी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	दावा प्रकरण नं. - 62/2024
12-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-12-24 को पेश हो।
24-12-24	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। वकील वादी द्वारा मूल में नाबालिग [illegible] वादीगण के वादी अर्जुनलाल पुत्र स्व. [illegible] एवं [illegible] वादीगण के [illegible] मार्फत [illegible] की मुख्य परीक्षा के शपथ पत्र लिखितशुदा पेश किए। जो शामिल पत्रावली किए गए। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 16-1-25 को पेश हो। सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)
16.01.2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृंथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को अस्वीकार [illegible] है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
62/2024	2024/116	09.05.2024	16.01.2025

उनवान प्रकरण

1. अर्जुनलाल पुत्र स्व. प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र पोखरमल उम्र 28 वर्ष
2. मोहित साई पुत्र स्व. प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र पोखरमल उम्र 24 वर्ष
   जाति जाट निवासी वार्ड नम्बर 4 तन ग्राम कल्याणपुरा(थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

–वादीगण–

बनाम्

1–बिदामी देवी पुत्री स्व. पोखरमल पत्नी मोहनलाल उम्र 50 साल निवासी कल्याणपुरा(थोई) तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवास ससुराल ग्राम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

2–छोटी देवी पुत्र स्व. पोखरमल पत्नी प्रहलादराम उम्र 51 साल निवासी कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर हाल निवास ससुराल ग्रम झाडली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

3. आंची देवी पत्नी प्रकाशचन्द्र पुत्रवधु पोखरमल उम्र 51 साल निवासी कल्याणपुरा (थोई) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना राज0

4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर हाल जिला नीमकाथाना (राज0)

––प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–

श्री कानाराम पूनियां, एड0 वादीगण अभिभाषक।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

वादपत्र बाबत् घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 16 ता 23, 47, 48, 59 ता 64 कुल किता –16 कुल रकबा 5.4400 हैक्टर तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू.अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित है जिसमें 1/4 हिस्सा की खातेदारी मृतक पोखर पुत्र सुखा के नाम दर्ज है जिसमें पोखर की वल्दीयत सुखा गलत दर्ज है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0600 हैक्अर गै.मु. चाह तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू.अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अविस्थत है जिसमें 1/16 हिस्सा की खातेदारी मृतक पोखर पुत्र सुखा के नाम दर्ज है। जिसमें पोखर की वल्दीयत सुखा गलत दर्ज है। पक्षकारान आपस में एक ही परिवार खानदान के है एवं सजरा खानदान के अनुसार गणपत, सुखा, भाना, बक्सा चारो भाईयों में से केवल मात्र गणपत के कानूनी वारिसान है एवं भाना व बक्सा अविवाहित व निः संतान फौत हो गये थे तथा वादीगण के पिता प्रकाशचन्द्र, पोखरमल के दत्तक पुत्र के रूप में रहे तथा पोखरमल क पगडी अंतिम संस्सकार आदि सभी कियाकम प्रकाशचन्द्र ने ही किया था तथा उस समय समाज के मौजूद व्यक्तियों के द्वारा पोखर की चल व अचल संपति का संपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गया था एवं पोखर के केवल मात्र दो पुत्रीयां संतान हुई थी जो प्रतिवदी संख्य–1 व 2 है जिसके भात–पेज आदि एवं इनके ससुराल में सभी सामाजिक जिम्मेदारियां वादीगण ही वहन करते आ रहे है एवं रिश्तेदारी का फर्ज निभाते आ रहे है प्रतिवादिया संख्या–3 वादीगण की माताजी है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमियों में पोखर की वल्दीयत सुखा गलत दर्ज है , सजरा खानदान के अनुसार पोखर की वल्दीयत सुखा गलत दर्ज है, सजरा खानदान के अनुसार पोखर के पिता का वास्तविक नाम गणपत है इसलिए राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

रिकार्ड में पोखर पुत्र सुखा के बजाय पोखर पत्रु गणपत दुरूस्तनीय है एवं कृषि भूमियां में मृतक पोखर के नाम दर्ज हक हिस्सा की भूमि पर वादीगण बहिस्सा बराबर'–बराबर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा वादीगण से पूर्व इनके पिता स्वर्गीय प्रकाशचन्द्र दत्तक पुत्र पोखर काबिज काश्त चला आ रहा है, इसलिए उक्त भूमि की खातेदारी वादीगण अपने नाम दर्ज करवानके अधिकारी है, वादीगण के पिता प्रकाशचन्द्र की मृत्यु दिनांक 09.08.2000 को हो गई है तथा वादीगण के पिता प्रकाशचन्द्र, पोखर के गादे चला गया था तथा पोखरमल की मृत्यु हो चुकी है। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा थोई द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें पोखरमल पुत्र गणपत दर्ज है, परन्तु उपरोक्त भूमियों की खातेदारी मे पोखर पुत्र सुखा गलत अंकित हो गया इसलिए वादीगण के नाम भूमि की खातेदारी दर्ज होने में परेशानी आ रही है जिसमें वादीगण को सख्त हक तलफी है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में पोखर पुत्र सुखा के स्थान पर पोखर पत्रु गणपत दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्सा बराबर–बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किश्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का निवेदन वकील वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में किया गया है। वकील वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू.अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 16 ता 23, 47, 48, 59 ता 64 कुल किता –16 कुल रकबा 5.4400 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/4 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0600 हैक्अर गै.मु. चाह तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू. अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अविस्थत है जिसमें 1/16 हिस्सा की खातेदारी मे पोखर पुत्र सुखा के स्थान पर पोखर पुत्र गणपत दुरूस्त करते हुए उक्त हिस्सों की खातेदारी से मृतक पोखर पुत्र गणपत का नाम हजफ किया जाकर उसके स्थान पर वादीगण को बहिस्स बराबर बराबर खातेदार काश्तकार घोषित यिका जाकर खातेदार वादीगण के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज किये जाने का निवेदन अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री अमर शर्मा एड0 ने वकालतनामा पेश किया गया। वादी व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 3 के बीच राजीनामा दिनांक 25.09.2024 को हो गया। प्रतिवादी संख्या–4 की तामील असालतन होकर लौटी है बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या–4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में वादी अर्जुनलाल पुत्र स्व. प्रकाशचन्द्र एवं साक्ष्य वादीगण गवाह में चौथमल दत्तक पुत्र भानाराम उर्फ भागुराम के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये। वकील वादीगण ने वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के द्वारा राजीनामा एवं प्रतिवादी संख्या–4 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही हो जाने से बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दी, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड व साक्ष्य वादीगण के मुख्य परीक्षण में पेश वादी [illegible] व [illegible] द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों इत्यादि का अवलोकन किया गया। [illegible] वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

16 ता 23, 47, 48, 59 ता 64 कुल किता –16 कुल रकबा 5.4400 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/4 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0600 हैक्टर गै.मु. चाह तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू.अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अविस्थत है जिसमें 1/16 हिस्सा की खातेदारी मे पोखर पुत्र सुखा होना राजस्व रिकार्ड से प्रकट होता है। पोखर पुत्र गणपत व पोखर पुत्र सुखा के एक ही वयक्ति होने का कोई प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। गणपत व सुखा का भी एक ही व्यक्ति होना पत्रावली के अवलोकन से साबित नहीं है। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी वर्ष 2074–2077 से पोखर, बक्सा, भाना (सभी पुत्रगण सुखा) का परस्पर भाई होना दर्शित है। जिसमें सुखा के बेटे के रूप में गणपत कही नहीं है, जबकि दावे में दिए गए सजरा खानदान के अनुसार भाना, बक्सा, कालू के साथ ही गणपत , सुखा का पुत्र है न कि पोखर सुखा का पुत्र अर्थात भाना, बक्सा, कालू व गणपत, सुखा के पुत्र है और पोखर, सुखा का पुत्र नहीं है अतः सुखा की मृत्यु पर सुखा की संपति में पहले गणपत का हिस्सा तय होना है तत्पश्चात गणपत की संपति में से पोखर का हिस्सा तय होना है। अतः प्रकरण पोखर की वल्दियत गलत दर्ज होने का न होकर सुखा की संपति में गणपत का हिस्सा दर्ज नहीं होने का प्रतीत होता है। साथ ही कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.06 हैक्टर गै0मु. चाह तन त्रिलोकपुरा में हिस्सा व खातेदारी बाबत कोई कागजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। ना ही प्रकाशचन्द्र के पोखर के गोद जाने बाबत कोई लिखित/मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से वादीगण का वाद प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती रिकार्ड एंव स्थायी निषेधाज्ञा वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 16 ता 23, 47, 48, 59 ता 64 कुल किता —16 कुल रकबा 5.4400 हैक्टर में दर्ज हिस्सा 1/4 एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 51 रकबा 0.0600 हैक्आर गै.मु. चाह तन ग्राम त्रिलोकपुरा पटवार हल्का सिहोडी भू. अभि.नि. दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अविस्थत है जिसमें 1/16 हिस्सा की खातेदारी मे पोखर पुत्र सुखा के स्थान पर पोखर पुत्र गणपत दुरूस्त करते हुए उक्त हिस्सों की खातेदारी से मृतक पोखर पुत्र गणपत का नाम हजफ किया जाना प्रमाणित नहीं होने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं । पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर, (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 16.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.26 15:50:22 IST
Reason: SelfAttested